फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरंण जीसीएमएस नंबर 2025/238 बअनवान प्रतापसिंह बनाम परबतसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/08/025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मुंडारा पटवार हल्का मुंडारा तहसील बाली के खसरा नंबर 1440 रकबा 0.4700 हैक्टर के लगते हुये अप्राथीगण के खसरा नंबर 1431, 1432, 1433 के मध्य बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। [Seal: न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)] सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner